

सार्वजनिक सूचना

डलहौजी छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि बिना मास्क के घर से बाहर निकलना पूर्णतया प्रतिबंधित है। बिना मास्क के पाए जाने पर 500/- रुपये जुर्माना किया जाएगा।

डलहौजी छावनी के सभी दुकानदारों को भी सूचित कि जाता है कि बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामान न दे यदि कोई भी दुकानदार ग्राहक को बिना मास्क के सामान देते हुए पाया जाता है तो उस दुकानदार को भी जुर्माना किया जाएगा।

डलहौजी छावनी के सभी दुकानदारों को आदेश दिया जाता है कि अपनी दुकानों के बाहर **NO MASK NO ENTRY** का बोर्ड लगाएं।

सं.सीबीडी-1 2A/Covid-19/2020
कार्यालय छावनी परिषद्,
डलहौजी छावनी 26 अप्रैल, 2021

Rahul Gajbhiye
(राहुल गजभिये, भा.र.सं.से)
मुख्य अधिशासी अधिकारी
डलहौजी छावनी

प्रति :

1. छावनी परिषद् के सभी सूचना पट्टों पर ।
3. छावनी परिषद् डलहौजी की वेबसाइट ।